

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :-165/18

संस्थापन दिनांक:-18/06/18

फाईलिंग नं. 392/2018

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

दिनेश पिता राजसिंग, उम्र 31 वर्ष
निवासी बस स्टैंड आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :—

(आज दिनांक 18.06.20018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 02.06.2018 को शाम करीब 06:10 बजे, थाना आमला से आधा किमी दक्षिण में फरियादी के घर के सामने बस स्टैंड आमला में फरियादी मंगला के साथ मारपीट कर उसे धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 02.06.2018 को शाम करीब 6 बजे अभियुक्त उसके घर के सामने आकर मकान के सामने रहने की बात को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था जो उसे सुनने में बुरी लगी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किया जिससे उसे बांये हाथ की कलाई में चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 289/18 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०द०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.06.2018 को शाम करीब 06:10 बजे, थाना आमला से आधा किमी दक्षिण में फरियादी के घर के सामने बस स्टैंट आमला में फरियादी मंगला के साथ मारपीट कर उसे धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 मंगला (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त को पहचानती है वह उसका भाई है। घटना इसी माह की उसके घर के सामने की है। घटना के समय उसका मकान के सामने रहने की बात को लेकर अभियुक्त से वाद विवाद झूमा झटकी हो गयी थी। झूमा झटकी में गिरने से उसे वहां पड़ी कोई नुकिली चीज लगने से चोट आयी थी जिस पर उसने गुस्से में आकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट लिखवायी थी तथा पुलिस ने उसका ईलाज करवाया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी तथा हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उसे दांत से काटा था। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी मंगला (अ.सा.-1) ने अभियुक्त द्वारा उसे दांत से काटकर उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से केवल मकान के सामने रहने की बात को लेकर वाद विवाद होने एवं विवाद में गिरने से उसे चोट आने के संबंध में कथन किये हैं।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ उसके घर के सामने रहने की बात पर से वाद विवाद करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी मंगला को मारपीट कर उसे धारदार दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त दिनेश को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त के मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)